बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विस्तृत सूचना

शिक्षा विभाग, बिहार के अधीनस्थ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये "बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों (सहायक प्राचार्य) के पद पर नियुक्ति हेतु परिनियम, 2014" की कंडिका 3.7 में प्रावधानित है कि "आवेदन पत्रों की छानबीन के बाद प्रत्येक विषय में साक्षात्कार हेतु आयोग 3–5 गुणा अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर सकता है।

विज्ञापन संख्या 71/2014 के अन्तर्गत **भूगर्भशास्त्र** विषय में अर्हित अभ्यर्थियों की कुल संख्या आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 5 गुणा से अधिक है। अतएव आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।

2. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों का कोटिवार कट–ऑफ अंक निम्नवत हैः–

कोटि	कट–ऑफ–मार्क्स
अनारक्षित (01)	74.00
अनुसूचित जाति (02)	59.30
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)	64.90

वैसे अभ्यर्थी, जो उक्त कट–ऑफ अंक के समान अथवा उससे अधिक अधिभार अंक प्राप्त होने का दावा रखते हों लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी अधिभार अंकों की गणना तालिका सहित अपना आपत्ति अभ्यावेदन दिनांक–21.07.2017 तक **E-mail(bpscpat-bih@nic.in)** से अथवा निबंधित डाक के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना को भेज सकते है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. **श्री ललित नारायण, अनुक्रमांक– 71010086**, जिनका नाम पूर्व में अर्हित की सूची में प्रदर्शित है, को विषय विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आलोक में Geological Technology विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण रहने के कारण अनर्हित किया जाता है।

4. सभी औपबंधिक रूप से अर्हित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 04.08.2017 को आयोजित किया जायेगा। वे अपने अनुक्रमांक के आधार पर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी अर्हित अभ्यर्थियों को तत्काल पूर्णतः औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल कराया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों की अर्हता पर यथासमय निर्णय लेने का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा।

5. साक्षात्कार पत्र निर्गत होने या साक्षात्कार में भाग लेने से किसी अभ्यर्थी की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। अर्हित/औपबंधिक रूप से अर्हित अभ्यर्थियों की अर्हता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग कभी भी स्वतंत्र रहेगा।

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना